सं. ए-42011/01/2023-समन्वय

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

समन्वय प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 2 फ़रवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय- मंत्रिमंडल के लिए दिसम्बर, **2023 माह प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश**

अधोहस्ताक्षरी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर अवर्गीकृत मासिक सारांश की एक प्रति दिसम्बर, **2023** के माह के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

सलग्नक: यथोपरोक्त

हरि मोहन झा 02/02/2024

(हरि मोहन झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 23062387

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।

संलग्नकों सहित अग्रेषित प्रति:

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. आईटी सेल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक

दिसंबर, 2023 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/कार्यक्रमों की जानकारी

I. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

- माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस से लेकर 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक 5 सप्ताह का स्वच्छ शौचालय अभियान शुरू किया। स्वच्छ शौचालय अभियान में नागरिक, शहरी स्थानीय निकाय, स्वयं सहायता समुह और राज्य सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ये न केवल स्वच्छ शौचालयों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं बल्कि इनकी स्वच्छता और इनका रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक रूप से भी कदम उठा रहे हैं। स्वच्छ शौचालय चैलेंज के तहत सर्वोत्तम मॉडल सार्वजनिक शौचालयों की पहचान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों, पैरास्टैटल निकायों, निजी ऑपरेटरों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संबंधित सरकार विभाग और मंत्रालय से नामांकन मांगे गए हैं। नामंकन 'एफएसीइएस'- चालू स्थिति, पहुंच, स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित शौचालय के मापदंडों पर आधारित हैं । स्वच्छ शौचालय चैलेंज के लिए नामांकन फॉर्म https://ctc.sbmurban.org/ पर लाइव है और आवेदन 23 दिसंबर, 2023 तक किए जा सकते थे। एक बार नामांकन समाप्त होने के पश्चात्, विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक स्वतंत्र जूरी नामांकित शौचालयों का मूल्यांकन करेगी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चयनित सर्वोत्तम मॉडल शौचालयों को मुहर के साथ 'स्वच्छ भारत सार्वजनिक शौचालय' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ताकि उनकी स्वच्छता सुविधाओं को मानदंड बनाकर इसकी पुनरावृत्ति की जा सके और इनसे सीखा जा सके।
- कुल 4,884 यूएलबी/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर,सूरत , नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरूपति , चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड , पंचगनी , भोपाल, बारामती और मैसूर) को वाटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से गूगल मानचित्र पर लाइव हैं।
- स्वच्छता ऐप नागरिकों की संबंधित नगर निगम द्वारा उनकी शिकायतों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप पर कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता

हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का निवारण किया गया है जो 94% से अधिक है।

- जीएफसी 2022 का परिणाम 01 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के भाग के रूप में घोषित किया गया था। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के तहत स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 11 है, 3-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 199 है और 1-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 234 है।
- एसबीएम-यू ने एएफडी (एजेंसी फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में विकास स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 27 जनवरी 22 को ' स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज' का आयोजन किया है। जूरी ने 30 स्टार्टअप्स के समाधानों का मूल्यांकन किया और प्रति चयनित परियोजना को 25 लाख रु की वित्तीय सहायता और एएफडी द्वारा 1 वर्ष के लिए इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए 10 समाधानों का चयन किया। इसके अलावा, अगले 20 स्टार्टअप्स को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति स्टार्टअप 20 लाख रुपये फंडिंग सहायता और स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी), आईआईटी कानपुर से 1 वर्ष की इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और एसआईआईसी, आईआईटी कानपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर 06 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में एसआईआईसी आईआईटी कानपुर द्वारा 20 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया जा रहा है और 12 स्टार्टअप को 5 लाख रुपये की पहली किश्त जारी की गई है। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एसआईआईसी आईआईटी कानपुर के सहयोग से कुल 75 स्टार्टअप को फंडिंग और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है।

II. स्मार्ट सिटी मिशन

- 1,71,086 करोड़ रु. की 8,010 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,32,199 करोड़ रु. की 6,627 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
- दिसंम्बर माह में 10,986 करोड़ रुपये की 269 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी की गईं।
- शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में ,स्मार्ट सिटीज ने 1342 स्मार्ट मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स पूर्ण कर लिए हैं, तथा 9,063 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 327 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं । जबकि स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में 14,758 करोड़ रुपये की 570 परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है।

- नदी/झील के किनारों, पार्कों और खेल के मैदानों और पर्यटन स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान देने के साथ, 1,167 जीवंत सार्वजनिक स्थान परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और लगभग 4,062 करोड़ रु. के निवेश वाली 203 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे शहरों को अधिक रहने योग्य और स्थायी बनाने की दिशा में, 1,293 वाश(डब्ल्यूएएसएच) परियोजनाएं और 622 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, 228 वाश (डब्ल्यूएएसएच) और 63 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की जानी हैं।

- **सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय कार्यशाला**
  स्मार्ट सिटी मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और कोयंबटूर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 16 दिसंबर 2023 को कोयंबटूर स्मार्ट सिटी में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में झील पुनरुद्धार के महत्व पर केंद्रित थी। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देशभर के 50 से अधिक स्मार्ट शहरों के मेयर, डिप्टी मेयर और निगम अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. 45,566 करोड़ रुपये की 5,163 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और 39381 करोड़ रुपये की 739 परियोजनाओं में कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर, लगभग 75,255 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य पूर्ण/चालू अमृत परियोजनाओं में किया गया है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए और ओई), सुधार प्रोत्साहन और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण' पर उप-योजनाओं और '25 चयनित शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और टाउन प्लानिंग योजनाएं (टीपीएस) ' के लिए 40,775 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iii. अब तक, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1 ,53,574 करोड़ रुपये (ओ और एम सहित) की लागत वाली 6,895 परियोजनाएं के लिए राज्य जल कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। 1,07,042 करोड़ रुपये की 4,820 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं, 96,880 करोड़ रुपये की 4,558 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी जा चुकी है, 73,786 करोड़ रुपये की 3,593 परियोजनाओं के लिए एनआईटी जारी की गई हैं, 36,871 करोड़ रुपये की 2,092 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है और 462 करोड़रुपये की 280 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है।

iv. अब तक, अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 6,971 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । कुल मिलाकर, अमृत 2.0 के विभिन्न घटकों जैसे परियोजनाओं और ए और ओई के तहत 7,503 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

वर्तमान वित्तीय वर्ष के सितंबर माह के दौरान 11,582 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है; 4,044 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया; 11,242 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋणों में सहायता प्रदान की गई है और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 18,256 ऋण दिए गए हैं ।

V. आवास

-नागालैंड को छोड़करजो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है।

-32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (नियमित - 27, अंतरिम - 05) की स्थापना की गई है। लद्दाख , मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में अभी तक भू-संपदा नियामक प्राधिकरण की स्थापना नहीं हुई है।

-28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अभी तक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं हुई है।

- 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटें शुरू कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अभी वेबसाइट शुरू होनी शेष है ।

-26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त किए हैं। 10 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड , पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख ने अभी तक न्यायनिर्णय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।

- देश भर में रेरा के तहत 1,19,957 भू-संपदा परियोजनाएं और 84,991 भू-संपदा एजेंटों ने पंजीकरण कराया है।

-देश भर में भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,18,254 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

-भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के तहत हुई प्रगति (01.01.2024 तक)

- दिसंबर 2023 में 3130 भू-संपदा प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत पंजीकृत हुए हैं।
- दिसंबर 2023 में 2191 भू-संपदा एजेंटों को रेरा के तहत पंजीकृत किया गया है।
- दिसंबर 2023 के महीने में देश भर में विभिन्न भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1682 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

आदर्श किरायेदारी अधिनियम

जनगणना-2011 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.1 करोड़ आवास खाली पड़े थे क्योंकि मकान मालिक अपने परिसर को किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर, 2012 में शहरी आवास की कमी पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानतः 187.8 लाख शहरी आवासों की कमी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा किराये कानून परिसर को किराए पर देने के अनुकूल नहीं है और इसमें लंबी प्रक्रिया वाले कानूनी प्रावधान हैं। परिसर को किराये पर देने को बढ़ावा देने और शीघ्र विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आदर्श किरायेदारी अधिनियम तैयार किया है।

एमटीए का लक्ष्य मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करना है और एक त्वरित विवाद समाधान तंत्र निर्धारित करना है। एमटीए किराये पर देने हेतु खाली परिसरों को उपलब्ध कराएगा और एक जीवंत और स्थायी किराया बाजार तैयार करेगा।

2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, एमटीए को नए कानून बनाकर या एमटीए की तर्ज पर मौजूदा किराये कानून में उपयुक्त संशोधन करके अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझा किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों ने एमटीए के पहले के प्रारूप के आधार पर किरायेदारी अधिनियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है और उनसे अपने किरायेदारी कानूनों को एमटीए के नवीनतम संस्करण के अनुरूप बनाने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एमटीए के नवीनतम संस्करण की तर्ज पर असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 को असम राज्य में अधिनियमित किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 अक्टूबर, 2023 को (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन, 2023, (ii) दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव किरायेदारी

विनियमन, 2023 और (iii) लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को भी मंज़ूरी दे दी गई है।

देश भर में एमटीए को जल्द से जल्द अपनाना सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में है।